क्रमांक

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

बी०ए० भाग 3 में विषय – निर्धारण हेतु निर्देश एवं नियम

1. बी०ए० भाग 3 के विद्यार्थियों को अपने बी०ए० भाग 2 के विषयों में से केवल दो का अध्ययन करना है। इन दो विषयों का निर्धारण संलग्न (विषय वरीयता प्रपत्र) के आधार पर किया जायेगा।

2. प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक प्रपत्र जमा कर सकता है। यदि इस नियम के उल्लंघन में कोई विद्यार्थी एक से अधिक प्रपत्र जमा करता है, तो उसका प्रथम प्रपत्र ही मान्य होगा।

3. उन सभी विद्यार्थियों को, इस आशय हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक, प्रपत्र भर कर अनिवार्यतः जमा करना है जो बी०ए० भाग 2 की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुए, भले ही वह बी०ए० भाग 2 की द्वितीय परीक्षा में बैठ रहे हैं।

4. प्रपत्र जमा करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त, विश्वविद्यालय स्वविवेकानुसार उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ अर्थदण्ड लगाकर लापरवाह विद्यार्थियों हेतु प्रपत्र निर्गत या स्वीकृत करने की अनुग्रहावधि दे सकता है, परन्तु अनुग्रहावधि होने पर प्रपत्र निर्गत या स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

5. विद्यार्थी को चाहिए कि वह प्रपत्र भरने से पहले इस पर्ण तथा प्रपत्र के विभिन्न स्तम्भों में वर्णित निर्देशों एवं नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रपत्र के स्तम्भ 10 में वांछित विषय बहुत सोच–समझ कर तथा पूर्ण उत्तरदायित्व सहित (अंग्रेजी में) प्रविष्ट किये जाने चाहिये क्योंकि प्रपत्र जमा हो जाने के उपरान्त उसमें प्रविष्ट वांछित विषयों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

6. विधिवत् पूरित प्रपत्र के साथ विद्यार्थी की बी०ए० भाग 1 एवं 2 के अंक पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित फोटोस्टेट प्रतिलिपि संलग्न करना, तथा उसे जमा करते समय बी०ए० भाग 3 की मूल शुल्क रसीद प्रस्तुत करना, अनिवार्य है। प्रपत्र नियत समयावधि के दौरान, निर्धारित अन्तिम तिथि तक, डीन कला संकाय कार्यालय के काउन्टर पर स्वीकार किये जायेंगे। यदि प्रपत्र या उसके निर्दिष्ट संलग्नक अपूर्ण है, अथवा स्तम्भ 10 की प्रविष्टियों में काट–पीट/रबर या किसी रसायन द्वारा संशोधन/दोहरा लेखन है, अथवा बी०ए० भाग 3 की मूल शुल्क रसीद प्रस्तुत नहीं की जा रही है, तो प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

चेतावनीः वांछित या आवंटित विषयों की उपरिवर्तनीयता का नियम कठोरता से लागू होता है। अतः विद्यार्थी इस भ्रान्ति में न रहे या किसी व्यक्ति के इस बहकाये में न आये कि बाद में सिफारिश/जोड़-तोड़/धौंसपट्टी/दीनता-पूर्ण आग्रह से वांछित/आवंटित विषयों में परिवर्तन हो सकेगा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय — **विषय वरीयता प्रपत्र रसीद**

क्रमांक

सूचना : 1. यह रसीद सम्हाल कर रखी जानी चाहिये।
2. यह रसीद प्रपत्र की पूर्णतया या ग्राह्यता का प्रमाण नहीं है।

बी०ए० भाग 3 सत्र.....हेतु निम्नलिखित विद्यार्थी से विषय वरीयता प्रपत्र प्राप्त कियाः–

विद्यार्थी का नाम.....

पिता का नाम.....

बी०ए० भाग 2 अनुक्रमांक.....

प्राप्तकर्ता के दिनांकित हस्ताक्षर

7. प्रपत्र जमा करते समय, इस पत्र के नीचे बनी रसीद को, उसमें नियत स्थानों पर वर्तमान सत्र, विद्यार्थी का पूरा नाम पिता का नाम तथा बी०ए० भाग 2 का अनुक्रमांक प्रविष्ट कर, साथ लाना अनिवार्य है। प्रपत्र स्वीकार करने पर, कार्यालय इस रसीद को हस्ताक्षित कर विद्यार्थी को लौटाएगा। यह हस्ताक्षरित रसीद सम्हाल कर रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसकी समय–समय पर आवश्यकता पड़ सकती है।

8. प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त, डीन कला संकाय कार्यालय बी०ए० भाग 3 के विद्यार्थियों के आवंटित विषयों की सूची/सूचियाँ प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक सूची में निर्दिष्ट अन्तिम तिथि तक, उसमें सम्मिलित विद्यार्थियों के लिए सम्बन्धित दोनों विभागों में, बी०ए० भाग 1 एवं भाग 2 के मूल अंक पत्र, बी०ए० भाग 3 की मूल शुल्क रसीद तथा प्रपत्र रसीद प्रस्तुत करके, अपना नामांकन कराना अनिवार्य है। अन्तिम तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय स्वविवेकानुसार उत्तरोत्तर बढ़ते अर्थदण्ड सहित नामांकन हेतु अनुग्रहावधि दे सकता है, परन्तु अनुग्रहावधि व्यतीत हो जाने पर अनामांकित विद्यार्थी का नामांकन नहीं किया जायेगा, तथा वह अनामांकित विषय/विषयों की परीक्षा में प्रस्तुत नहीं हो सकेगा।

9. **यदि किसी विषय हेतु आवेदक विद्यार्थियों की संख्या, उसके लिए निर्धारित स्थानों से अधिक हो जाती है, तो उसका आवंटन आवेदकों के श्रेष्ठता-क्रम (अर्थात् बी०ए० भाग 1 एवं भाग 2 के समय प्राप्तांकों में उस विषय के प्राप्तांकों को जोड़कर प्राप्त योग) के अनुसार किया जायेगा। इस परिस्थिति में, अथवा विद्यार्थी के वांछित विषयों के एक प्रतिबन्धित विषय-समूह होने पर, विद्यार्थी द्वारा छोड़ा जाने वाला विषय उसे आवंटित किया जा सकता है।**